Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 02-03-2006
Participants : Rathod Shri Harisingh Nasaru

>

Title : Regarding the need for rehabilitation of migrant tribal labourers from Mehboobnagar, Andhra Pradesh engaged in Signalling and telephone cable laying work of railways in Nasik district, Maharashtra.

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : महोदय, आंध्र प्रदेश में महबूब नगर जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां रोजगार उपलब्ध न होने से यहां के लेबर पूरे देश में माइग्रेट होते हैं। करीब 10 लाख लेबर यहां से माइग्रेट होते हैं जिनमें अधिकतर लेबर शेडयूल्ड ट्राइब्ज है। पूरे देश में महबूब नगर का लेबर फैला हुआ है। जो लेबर पालमूरी के नाम से जाना जाता है।

महोदय, इस देश का कोइ भी प्रोजेक्ट हो भाखड़ा नांगल से लेकर यहां के हायवेज हो या ब्रिटिश द्वारा बनायी हुयी रेलवे लाइनें हों या बिल्डिंग हो, पालमूरी लेबर का हाथ लगे बगैर यह काम पूरा नहीं हुआ है।

सर, आज इसी लेबर पर अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं। सर, इनका बॉन्डेड लेबर जैसे आज भी ट्रीटमेंट मिलती है। ह्रासमेंट होती है। पेमेंट की भुगतान भी नहीं मिलती। हाल ही में मेघालय में लेबरों को बंदी बनाया गया था।

सर, इसी सिलसिले में 26 जनवरी, 2006 को बॉन्डेड, माइग्रेट, शेडयूल्ड ट्राइब्ज के पालकूरी लेबर ने गेटवे ऑफ इंडिया में धरना देकर खुद को जलाकर मरने को तैयार थे। पुलिस ने उन्हें बचाया। लेकिन 250 आदि वासी लेबर को अभी भी न्याय नहीं मिला। महाराट्र के नाशिक जिले में रेल का सिंगनलींग और टेलीफोन केबल बिछाने का काम इन्होंने दो साल तक लगातार किया। लेकिन रेलों के कांट्रैक्टरों ने उनका पेमेंट अभी भी नहीं किया।

सर, आपके माध्यम से मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार को ऐसे रेलवे कांट्रैक्टरों के उपर शेडयूल्ड ट्राइब्स अट्रासिटी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कराना चाहिए। यह केस बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 के अंतर्गत भी आता है। सर, देश में कानून बहुत बनाये जाते हैं, लेकिन उनका इम्पलीमेंटेशन नहीं होता। देश में पालमूरी लेबर एक मिशाल है। इन सभी का रिहेब्लिटेशन करना बहुत जरूरी है।